भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न सं. 205

गुरूवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

जियो-साइलेंस और दीर्घकालिक पर्यटन संवर्धन

205 श्री संजय कुमार झा:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने 'जियो-साइलेंस' की उभरती वैश्विक पद्धति पर ध्यान दिया है, जिसके अंतर्गत पर्यटन प्राधिकरण, संरक्षण संगठन और कंटेंट क्रिएटर पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों की जियो-टैगिंग को हतोत्साहित करते हैं, जैसा कि आइसलैंड में कुछ अतिसंवेदनशील स्थानों के लिए किया गया है, जबकि भारत सक्रिय रूप से नए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दे रहा है;

(ख) क्या भारत के पर्यावरणीय दृष्टि से अतिसंवेदनशील स्थलों और विरासत स्थलों के लिए भी समान उपायों पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और क्या मंत्रालय अपनी दीर्घकालिक पर्यटन कार्यनीति में ज़िम्मेदार डिजिटल संवर्धन और जियो-टैगिंग संबंधी प्रक्रियाओं को शामिल करने का विचार रखता है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री संजय कुमार झा द्वारा जियो-साइलेंस और दीर्घकालिक पर्यटन संवर्धन के संबंध में दिनांक 06.08.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के मौखिक प्रश्न संख्या 205 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में **विवरण**

(क) से (ग): पर्यटन मंत्रालय ने 'जियो-साइलेंस' या पर्यटन स्थलों की जियो-टैगिंग पर प्रतिबंधों से संबंधित कोई नीति या दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं।

पर्यटन मंत्रालय सतत और जिम्मेदार पर्यटन के महत्व को स्वीकार करता है तथा पर्यटन को इस प्रकार से बढ़ावा देता है, जो पर्यावरण-अनुकूल एवं पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ हो और प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सहायक हो। इस संबंध में, मंत्रालय ने सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ सतत गंतव्य प्रबंधन, पर्यावरणीय सततता, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं पर बल देती है। मंत्रालय पर्यटकों और पर्यटन हितधारकों के बीच पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए 'ट्रैवल फॉर लाइफ' जैसी पहलों के माध्यम से जिम्मेदार पर्यटन को भी बढ़ावा देता है।
